Effect of OXYFEED on blue green algae

Location: Fish farm, MM Fish co , Jhiriya, Distt - Bemetara, Chhattisgarh

Media Coverage on NGT Guidelines

एनजीटी के जुर्माने से बचा निगम

संवाद न्यूज एजेंसी

शहर के बीच से गुजर रही ढमोला और पांवधोई नदी के प्रदूषित होने का मामला

सहारनपुर। शहर के बीच से होकर गुजर रही पांवधोई और ढमोला नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए नगर निगम कुछ कदम उठाकर एनजीटी के जुर्माने से बच गया है। एनजीटी की ओवर साइट कमेटी ने स्वीकार किया है कि सहारनपुर ने नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं।

दोआबा पर्यावरण समिति ने हिंडन, काली और कृष्णी नदी के प्रदूषण के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सात जिलों को जिम्मेदार ठहराते हुए वर्ष 2014 में एनजीटी में मामला दायर किया था। समिति का आरोप था कि विभिन्न उद्योगों का प्रदूषित जल इन नदियों को प्रदूषित करने के साथ साथ भूजल को भी प्रदूषित कर रहा है, जिससे बड़ी संख्या में गांव प्रभावित हो रहे हैं। बुधवार को एनजीटी की ओवरसाइट कमेटी ने दोआबा पर्यावरण समिति बनाम उत्तर प्रदेश मामले की वीडियो कांफ्रेंस के जरिए सुनवाई की।

चेयरमैन जस्टिस एसवीएस राठौर और सदस्य डॉ. अनूप चंद्र पांडेय ने सुनवाई के दौरान सात जिलों में हिंडन, काली और कृष्णी नदी को प्रदूषित करने वाले नदियों-नालों की बिंदुवार समीक्षा करने के बाद सहारनपुर को छोड़कर बाकि सभी छह जिलों पर आठ करोड़ सात लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इन जिलों शामली, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, मेरठ और बागपत शामिल हैं।

ढमोला में न बनाए गए चेक डैम।

नगरायुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि सहारनपुर नगर निगम ने नदियों के प्रदूषण को गंभीरता से लेते हुए निगम में एक पर्यावरण अनुभाग बनाया था। इस अनुभाग द्वारा गत मार्च 2020 से लगातार ढमोला व नागदेई नदियों में 30 से ज्यादा चेक डैम बनाकर जलोपचार व जल प्रबंधन कार्य किया जा रहा था। यदि सहारनपुर ऐसा नहीं करता तो 60 लाख रुपये का जुर्माना लगता।

एनजीटी से मिली नगर निगम को राहत

ढमोला व नागादेई नदियों के प्रदूषण का मामला, छह जिलों पर आठ करोड़ का जुर्माना

जागरण संवाददाता, सहारनपुर: एनजीटी की ओवर साइट कमेटी ने नगर निगम सहारनपुर द्वारा ढमोला व नागादेई नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए किये जा रहे प्रयासों को देखते हुए नगर निगम को जुर्माने से मुक्त कर दिया है। जबकि अन्य छह जिलों पर आठ करोड़ सात लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

दोआबा पर्यावरण समिति ने हिंडन, काली और कृष्णी नदी के प्रदूषण के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सात जिलों की नदियों और नालों के पानी को उक्त नदियों के प्रदूषण का जिम्मेदार ठहराते हुए वर्ष-2014 में एनजीटी में यह मामला दायर किया था। समिति का आरोप था कि विभिन्न उद्योगों का प्रदूषित जल इन नदियों को प्रदूषित करने के साथ साथ भूजल को भी प्रदूषित कर रहा है, जिससे कई गांव प्रभावित हो रहे हैं।

नगर निगम द्वारा ढमोला नदी में बनवाया गया चैक डैम ● सौ. नगर निगम

बुधवार को एनजीटी की ओवर साइट कमेटी ने दोआबा पर्यावरण समिति बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले की वीडियो कांफ्रेंस के जरिये सुनवाई की। चेयरमैन जस्टिस एसवीएस राठौर और सदस्य डा. अनूप चंद्र पांडेय ने सुनवाई के दौरान सात जिलों में हिंडन, काली और कृष्णी नदी को प्रदूषित करने वाले नदियों-नालों की बिंदुवार समीक्षा करने के बाद सहारनपुर को छोड़कर बाकी सभी छह जिलों पर आठ करोड़ सात लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इन जिलों के 27 नदी नालों को हिंडन, कृष्णी व काली नदी के प्रदूषण का कारण मानते हुए यह जुर्माना लगाया है। जिन सात जिलों की नदियों-नालों पर सुनवाई की गयी उनमें सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, मेरठ व बागपत जिले शामिल थे। सहारनपुर की ढमोला नदी और नागादेई नदी के प्रदूषण को लेकर शिकायत की गयी थी। एनजीटी की ओवर साइट कमेटी ने उक्त सभी जिलों के निगम-निकायों को प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए गत वर्ष नोटिस भी जारी किये थे।

नगरायुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि सहारनपुर नगर निगम ने नदियों के प्रदूषण को गंभीरता से लेते हुए निगम में एक पर्यावरण अनुभाग बनाया था। इस अनुभाग द्वारा गत मार्च-2020 से लगातार ढमोला व नागदेई नदियों में 30 से ज्यादा चैक डैम बनाकर जलोपचार व जल प्रबंधन कार्य किया जा रहा था। जिसका प्रभाव भी दिखाई देने लगा है। दोनों नदियों में आक्सीजन का लेविल भी बढ़ा है और अनेक स्थानों पर मछलियां भी दिखाई दे रही है। एनजीटी की ओवर साइट कमेटी ने भी सहारनपुर नगर निगम द्वारा किये जा रहे प्रयासों को स्वीकार किया है। कमेटी ने उक्त मामले में सहारनपुर को जुर्माने से मुक्त रखा है। उन्होंने बताया कि एनजीटी द्वारा पांच लाख रुपये प्रति नाला या नदी जुर्माना लगाया जाता है।